IJAER/March-April 2021 /Volume-10/Issue 5 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

ग्रामीण विकास में सहकारिता की भूमिका

महेंद्र शेखावत
वाणिज्य विभाग
महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी

डॉ स्वेच्छा मित्तल
, निर्देशिका

डॉ गुरप्रीत कौर
, सह निर्देशिका

सार

भारत गांवों में रहता है जहां अधिकांश निवासी छोटे, सीमांत, भूमिहीन किसान और कारीगर हैं। स्वतंत्रता के बाद, ग्रामीण विकास के लिए कृषि को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया। उस समय भी, नीति निर्माताओं ने इस तथ्य की कल्पना की थी कि लोगों की भागीदारी और संस्थागत समर्थन के बिना ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पंचायती व्यवस्था और सहकारी समितियों के महत्व को पहचाना गया और इन संस्थाओं को विशिष्ट भूमिकाएँ सौंपी गईं। इन संस्थाओं को सौंपा गया मुख्य कार्य सामुदायिक विकास के लिए काम करना, ग्रामीण गरीबी को मिटाना, असमानताओं को कम करना और विशेषाधिकारों को खत्म करना था। 1960 के दशक से, पंचायती राज और भूमि सुधार या तकनीकी और सहकारी मिशनों के माध्यम से हरित और श्वेत क्रांति जैसे कई ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू और कार्यान्वित किए गए हैं।

अधिकांश विकासशील देशों की ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी आबादी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच निरंतर और बढ़ता विभाजन है। इस बढ़ते विभाजन से ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा, संसाधनों का अनुपातहीन वितरण और विकास के प्रति तार्किक दृष्टिकोण का अभाव होता है। ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दों और समस्याओं को अक्सर उपेक्षित रखा जाता है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में सौतेला व्यवहार करने की भावना विकसित हो जाती है। संसाधनों की कमी, बुनियादी ढांचे की कमी, कम आय और लोगों के प्रगतिशील दृष्टिकोण की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में कम विकास के अभाव के कुछ कारण हैं।

मुख्य शब्द

ग्रामीण, विकास, सहकारिता

भूमिका

एक गाँव में, सहकारी समिति एक महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक संस्था के रूप में एक फोकल स्थिति प्राप्त करती है। सहकारी समिति का उद्देश्य अपने सदस्यों (अर्थात् ग्रामीण समुदाय) को सेवाएं प्रदान करना है और ये सेवाएं, जिनका अध्ययन आप बाद की इकाइयों में करेंगे, बहुआयामी हैं। हालांकि सहकारी समितियों की सदस्यता में एक गांव की पूरी आबादी शामिल नहीं होती है, लेकिन इसमें ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा और एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल होता है। इसके अलावा, अन्य एजेंसियों द्वारा किसी भी सामुदायिक विकास योजनाओं को लागू करने में (उदाहरण के लिए, निरक्षरता को दूर करना, लोगों को उनके पर्यावरण, स्वास्थ्य देखभाल, गरीबी उन्मूलन, जल प्रबंधन, आदि के प्रति जागरूक करना), सहकारी समितियों की भागीदारी की परिकल्पना की गई है। ग्रामीण समुदाय, क्योंकि सहकारी समितियों में ग्रामीण समुदाय का बहुमत और एक क्रॉस सेक्शन शामिल है।

इसके अलावा, एक सहकारी एक कानूनी इकाई है। इसमें जमीनी स्तर पर संस्थागत नेटवर्क और बुनियादी सुविधाएं हैं। यह ग्रामीण लोगों के सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा गतिविधियों में भी शामिल है, जैसे कि गाँव गोद लेना, बीमा, स्कूलों, अस्पतालों का प्रचार, सामाजिक वानिकी का विकास, आदि। इसने अपने माध्यम से ग्रामीण लोगों के बड़े वर्गों के लिए ग्रामीण रोजगार भी सृजित किया है।

जब एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, तो कोई देश ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की विकास प्रक्रिया और आकांक्षाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता है। आर्थिक परिवर्तन के बिना सामाजिक परिवर्तन और विकास संभव नहीं है। भारत जैसे काउंटी में ग्रामीण क्षेत्र अक्सर बेहद उपेक्षित होते हैं और ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता है। जब विकासात्मक प्रक्रिया की बात आती है, तो संसाधनों की कमी, विकास के उचित मॉडल की कमी, कार्यान्वयन की दोषपूर्ण व्यवस्था खराब ग्रामीण विकास के कुछ कारण हैं।

लोगों की कम आकांक्षा, दृष्टि की कमी, अज्ञानता, शालीनता की भावना और विकासात्मक प्राथमिकताओं पर कम ध्यान ग्रामीण भारत में खराब विकास संकेतकों के कुछ कारण हैं। यह आवश्यक हो जाता है कि ग्रामीण विकास की समस्या ग्रामीण विकास का केंद्र बिंदु बन जाए जिसके बिना हमारा देश वांछित स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता।

विभिन्न वित्तीय संस्थान और बैंक सहकारिता के सिद्धांतों के परिणाम हैं। सहकारी संस्थाओं ने कई समाजों और राष्ट्रों में परिवर्तन लाए हैं। जब पूँजीवाद और समाजवाद जैसी विचारधाराओं के टकराव की बात आती है तो सहकारिता को मध्यम मार्ग माना जाता है। सहकारी विचारधारा और संस्थान स्वर्णिम साधन के रूप में कार्य करते हैं जो विभिन्न हितधारकों की प्राथमिकताओं, प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संतुलित करते हैं।

भारत में 20वीं सदी की शुरुआत में सहकारिता को विकास के मंत्र के रूप में अपेक्षित किया गया है। तब से बड़ी संख्या में सहकारी संस्थाएँ उभरी हैं और विकासात्मक प्रक्रिया के सामाजिक आर्थिक आयामों को बदल दिया है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग तथा असंगठित आर्थिक खिलाड़ियों को उचित लाभ मिलता है।

भारत जैसे विषम देश में विकास का उद्देश्य केवल एक तंत्र और अद्वितीय विचारधारा का उपयोग करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कई गुना समाधान की आवश्यकता होती है। विभिन्न संस्थानों, एजेंसियों और तकनीकों का मिश्रण ही आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इसीलिए भारतीय योजनाकारों ने मिश्रित आर्थिक व्यवस्था को अपनाया है, पूंजीवादी और समाजवादी विचारों को एक साथ गुंजाइश और अवसर देते हुए सहकारी और सहकारी संस्थाओं को उचित महत्व और महत्व दिया है।

ग्रामीण भारत में तीव्र आर्थिक विकास का एकमात्र समाधान ग्रामीण सहकारी समितियों के रूप में आ सकता है। ग्रामीण भारत को ऐसे आर्थिक संस्थानों की आवश्यकता है जो छोटे संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग और बिखराव कर सकें। इसके लिए ऐसे संस्थानों की आवश्यकता है जो विश्वास पैदा करने, लोगों को संगठित करने और उनके संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सहायक हों। इस दृष्टि से ग्रामीण सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये संस्थान वांछित सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं और आर्थिक विकास में मदद कर सकते हैं।

ग्रामीण सहकारिता वांछित विश्वास उत्पन्न कर सकती है जो ग्रामीण क्षेत्र में उपयुक्त बुनियादी ढांचा तैयार करने और विभिन्न एजेंसियों और संस्थानों के नेटवर्क में सुधार करने में मदद कर सकती है। ग्रामीण सहकारी समितियाँ संसाधनों को व्यवस्थित करने, योजना को लागू करने और आर्थिक विकास के लक्ष्य को विकसित करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकती हैं। छोटी लेकिन लाभदायक उद्देश्यपूर्ण आर्थिक गतिविधियों को आयोजित करने में ग्रामीण सहकारी समितियों की बड़ी भूमिका होती है। वे लोगों के साथ एक सही व्यवस्था बनाने की पहल कर सकती हैं। भागीदारी को सामाजिक–आर्थिक बदलाव का मूल आधार मानते हैं।

सहकारिता के सिद्धांत

सहकारी समितियाँ अपने मूल्यों को अमल में लाने वाले सिद्धांत और दिशा–निर्देश इस प्रकार हैं

- स्वैच्छिक और खुली सदस्यता– इसका अर्थ है कि सदस्यता स्वैच्छिक होगी और लिंग या सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक संबद्धता के आधार पर बिना किसी प्रतिबंधध्भेदभाव के उपलब्ध होगी। सभी सदस्य अपने सहकारी की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं और स्वेच्छा से सदस्यता की जिम्मेदारियों को स्वीकार कर सकते हैं।
- लोकतांत्रिक सदस्यों का नियंत्रणः सहकारिताएं अपने स्वयं के सदस्यों द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित लोकतांत्रिक संगठन हैं। सहकारी समितियों के प्राथमिक सदस्यों को मतदान (एक सदस्य एक वोट) और भागीदारी के समान अधिकार प्राप्त हैं।

- सदस्यों की आर्थिक भागीदारी– सोसायटी के संचालन से उत्पन्न होने वाले आर्थिक परिणाम सदस्यों के होते हैं और उनके बीच समाज के साथ उनके लेन–देन के आकार के अनुसार आनुपातिक रूप से वितरित किए जाएंगे, जबकि धन का एक हिस्सा अलग रखा जाएगा। प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट उद्देश्य।
- स्वायत्तता और स्वतंत्रता– सहकारी समितियाँ स्वायत्त, स्वयं सहायता संगठन हैं जो अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित होती हैं। यदि वे बाहरी स्रोतों से पूंजी जुटाने के लिए सरकारों सहित अन्य के साथ समझौते करते हैं तो वे ऐसा उन शर्तों पर करते हैं जो उनके सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित करती हैं और उनकी सहकारी स्वायत्तता को बनाए रखती हैं।
- शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना– सहकारिता अपने सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा औरध्या प्रशिक्षण प्रदान करती है ताकि वे अपनी सहकारी समितियों के विकास में प्रभावी ढंग से योगदान कर सकें।
- सहकारी समितियों के बीच सहयोग– सभी सहकारी संगठन, अपने सदस्यों और समुदाय के हितों की सर्वोत्तम सेवा करने के लिए, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य सहकारी समितियों के साथ हर व्यावहारिक तरीके से सक्रिय रूप से सहयोग करेंगे।
- समुदाय के लिए चिंता– सहकारिता अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से अपने समुदायों के सतत विकास के लिए काम करती है।

हमारे योजनाकारों के समक्ष ग्रामीण विकास एक प्रमुख चिंता का विषय है। ग्रामीण विकास की दिशा में पर्याप्त और आवश्यक प्रयास किए बिना नियोजन के अधिकांश उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ग्रामीण विकास के मुद्दे को देश द्वारा कैसे संबोधित किया जाता है, यह व्यापक आर्थिक विकास के प्रति अपना दृष्टिकोण तय करता है। इस दृष्टि से प्रत्येक विकासशील देश में विकास की प्रक्रिया ग्रामीण विकास होनी चाहिए।

सहकारी समितियां और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनका योगदान

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक हो सकती है।

• ऋण सुविधाएं प्रदान करें – ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियां अपने सदस्यों – व्यक्तियों या छोटे व्यवसायों – को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती हैं। क्रेडिट सहकारी समितियां कम ब्याज दरों और लचीली चुकौती शर्तों पर ऋण देने में शामिल हैं। ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अपने सदस्यों को निजी साहूकारों से बचाती हैं जो बहुत अधिक ब्याज दरों पर ऋण देते हैं। क्रेडिट सहकारी समितियां अपने सदस्यों के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण शायद ही कभी बड़ी मात्रा में पूंजी जुटाती हैं। हालांकि, वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि और गैर–कृषि दोनों व्यवसायों की व्यवहार्यता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

• निम्न–आय समूहों के लिए आवास सुविधाएं – ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सहकारी समितियां अपने सदस्यों को रहने के लिए जगह प्राप्त करने में सहायता करती हैं। वे मुख्य रूप से निम्न–आय वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर आवास सुविधाएं प्राप्त करने में मदद करने में शामिल हैं।

• उपभोक्ताओं को किफायती उत्पाद प्राप्त करने में मदद करें – कई उपभोक्ता सहकारी समितियां ग्रामीण परिवारों को अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर उत्पाद प्राप्त करने में मदद करती हैं। वे सीधे निर्माण से उत्पाद खरीदते हैं और उन्हें बाजार मूल्य से नीचे अपने सदस्यों को बेचते हैं, इस प्रकार बिचौलियों की भागीदारी को हटाते हैं। जो कोई भी इन दरों पर उत्पाद खरीदना चाहता है, वह उपभोक्ता सहकारी समितियों का सदस्य बन जाता है।

• छोटे व्यवसायों को लाभदायक बने रहने में सहायता करना – सहकारी समितियाँ छोटे पैमाने के उद्यमियों को उनकी उत्पादन लागत कम करने के लिए सस्ती दरों पर कच्चा माल प्राप्त करने में मदद करती हैं। वे उत्पादकों को अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए एक मंच भी प्रदान करते हैं। बिचौलियों को हटाने से बिक्री मूल्य में कटौती करने और उत्पादकों के लिए उच्च बिक्री और लाभ सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

• सदस्यों के बीच लाभ साझा करें – ग्रामीण समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सेवा के लिए सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी। वे लाभांश के रूप में अपने सदस्यों के बीच संचालन से लाभ वितरित करते हैं। ये कमाई ग्रामीण परिवारों के भरण–पोषण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों की भूमिका हमारी सोच से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वे व्यक्तियों और व्यवसायों को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने में सक्षम बनाते हैं, और वे छोटे और मध्यम उद्यमों को चलाने में भी मदद करते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

ग्रामीण विकास में सहकारी समिति की भूमिका

सहकारी समितियों ने ग्रामीण आबादी के विकास और उन्हें एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीण विकास में सहकारी समिति की भूमिका बहुआयामी है, और यह ग्रामीण जीवन के हर पहलू को समाहित करती है। यह आर्थिक और सामाजिक रूप से अपने सदस्यों और क्षेत्रों के उत्थान की दिशा में काम करता है।

• ग्रामीण भारत साहूकारों के शोषण के कारण किसानों की आत्महत्या के सबसे अधिक मामलों का सामना कर रहा है, इसलिए सहकारी बैंकों और ऋण समितियों की स्थापना करके सहकारी समितियों ने औपचारिक तरीके से धन उधार देने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद की है, और किसानों और अन्य व्यापार

मालिकों को ऋण और अन्य बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की जाती है। उन्हें अच्छी ब्याज दर अर्जित करने के लिए अपनी बचत जमा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

• सहकारी समितियाँ लघु उद्योगों को नए और वैश्विक अवसर प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं, और कारीगर उन्हें पर्याप्त ऋण और कौशल सहायता प्रदान करते हैं। इससे रोजगार के अवसर खुलते हैं, इस प्रकार उनके जीवन स्तर में सुधार होता है।

• सहकारी समितियाँ उत्पादकों, निर्माताओं और किसानों के लिए काम करती हैं और उन्हें कच्चे माल, मशीनरी और बुनियादी इनपुट की कमी के कारण होने वाली समस्याओं को आसानी से उपलब्ध कराने में मदद करती हैं।

• सहकारी समितियों ने छात्रों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करके ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा क्षेत्र को प्रभावित किया है। सहकारी विद्यालयों की उपस्थिति पूरे भारत में फैली हुई है। कई सहकारी समितियां गैर–सरकारी संगठनों के साथ जुड़ती हैं और विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था करती हैं जो किसी विशेष क्षेत्र के विकास पर जोर देते हैं।

• ग्रामीण विकास में सहकारी समिति की एक और बड़ी भूमिका को महिला सशक्तिकरण के रूप में देखा जा सकता है। ये समाज विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों को जानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कौशल विकास के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाते हैं। इन समाजों ने सांस्कृतिक और सामाजिक कलंक को तोड़कर महिला विकास के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है।

• सहकारी समितियों ने उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्रदान करके, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में अच्छा प्रशिक्षण प्रदान करके और वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाकर कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न गरीबी–पीड़ित वर्गों की सहायता की है।

• सहकारी समिति का उद्देश्य केवल सामाजिक लाभ प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि कृषि गतिविधियों को करने वाले लोगों को वित्तीय लाभ भी प्रदान करना है।

दुग्ध सहकारी समितियों का प्रभाव

इनमें से अधिकांश मानदंडों के संदर्भ में सहकारी गांवों में भूमिहीन परिवार नियंत्रित गांवों में अपने समकक्षों की तुलना में बेहतर थे। ग्रामीण आबादी के कमजोर वर्ग, यानी, छह साल से कम उम्र के बच्चे, और सहकारी गांवों में गर्भवती और नर्सिंग माताओं के पास नियंत्रण गांवों में उनके समकक्षों की तुलना में बड़े और बेहतर पोषण की स्थिति थी।

चीनी सहकारी समितियों का प्रभाव

चीनी सहकारी समितियों ने गन्ना उत्पादकों और ग्रामीण आबादी के अन्य वर्गों की जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया है। सहकारी समितियों ने अपने चीनी कारखानों में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से गन्ने की कटाई और परिवहन, सड़कों के निर्माण और मरम्मत, थोक बिक्री और खुदरा बिक्री, बैंकिंग आदि जैसे संचालन और सेवाओं में हजारों ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा स्थापित करने में मदद की है और इस तरह शिक्षा, विस्तार सेवाओं, सिंचाई सुविधाओं, उन्नत बीजों, उर्वरकों और क्रॉस–ब्रीड गायों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से उनके विकास को सुगम बनाया है।

इन सबसे ऊपर, चीनी सहकारी समितियों ने उद्यमियों और राजनेताओं की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया है और उनका पोषण किया है जो अब राज्य में आर्थिक और राजनीतिक मंचों पर हावी हैं। लेखक करिश्माई नेतृत्व, उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रबुद्ध और उत्तरदायी सदस्यता, उत्पादकों को लगातार उच्च गन्ना मूल्य, और प्रभावी प्रबंधन सहित चीनी सहकारी समितियों की सफलता के कई निर्धारकों की पहचान करता है।

महाराष्ट्र की चीनी सहकारी समितियाँ भारत के अन्य राज्यों में एकीकृत कृषि प्रसंस्करण और विपणन सहकारी समितियों के आयोजन के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती हैं। वे देश में सामान्य रूप से ग्रामीण लोगों और विशेष रूप से गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में गन्ना उत्पादकों के सर्वांगीण सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी संस्थागत संरचना साबित हो सकते हैं।

नए युग में ग्रामीण विकास के साधन के रूप में सहकारी समितियाँ

निजीकरण और अविनियमन के मद्देनजर जो भारत की एनईपी की विशेषता है और विश्व व्यापार संगठन द्वारा शुरू की गई नई विश्व व्यापार व्यवस्था के तहत विदेशी फर्मों से प्रतिस्पर्धा के लिए भारत के बाजारों को खोलने के मद्देनजर, सहकारी समितियों के पास अब नहीं होगा सरकार का संरक्षण, समर्थन और संरक्षण। उन्हें अपना बचाव करना होगा और अपने अस्तित्व और विकास के लिए भारतीय और विदेशी दोनों निजी फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। हमारी राय में, केवल सहकारिता ही गरीब उत्पादक और गरीब उपभोक्ता को मुक्त विश्व व्यापार के प्रतिकूल प्रभावों से बचा सकती है और उनके लिए सुरक्षा जाल के रूप में काम कर सकती है। आर्थिक सुधारों ने अब तक ग्रामीण क्षेत्र को दरकिनार कर दिया हैय यह केवल औद्योगिक क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र है जो अनावश्यक सरकारी नियमों और विनियमों ६ नियंत्रणों की बेड़ियों से मुक्त हो गया है।

आर्थिक रूप से, डेयरी संयंत्रों और मशीनरी में दुर्लभ पूंजी का निवेश करना अविवेकपूर्ण है, जब सहकारी क्षेत्र में पहले से ही बनाई गई क्षमता का कम उपयोग किया जाता है। अल्पावधि में, एक सहकारी डेयरी के मिल्क शेड में स्थापित नई डेयरियों को आपूर्ति की जाने वाली दूध की मात्रा सहकारी डेयरी को आपूर्ति की जाने वाली कुल मात्रा से आती है और इस प्रकार

एक हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करती है, न कि किसी अतिरिक्त डेयरी का। दूध की मात्रा जो पहले ही उत्पादित और संसाधित हो चुकी है। इसलिए, डेयरी विकास में निजी डेयरियों का कोई योगदान नहीं है। सहकारी और निजी डेयरियों दोनों द्वारा संसाधित दूध की कुल मात्रा लगभग अपरिवर्तित रहने के साथ, निजी डेयरियों द्वारा दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों में निवेश में कोई भी वृद्धि समाज के दृष्टिकोण से पूंजी के उपयोग में अक्षमता का कारण बनेगी। इस प्रकार इन मामलों में श्सभी के लिए मुफ्तश नीति निश्चित रूप से डेयरी उद्योग के अति–पूंजीकरण का परिणाम होगी और सहकारी डेयरियों और निजी डेयरियों दोनों को उच्च निश्चित लागत और कम मार्जिन से नुकसान होगा और न तो उत्पादकों और न ही उपभोक्ताओं को इससे लाभ होगा।

इस बात की काफी संभावना है कि यदि सहकारी डेयरियां आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो जाती हैं और उन्हें बंद करना पड़ता है, तो निजी डेयरियां उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का शोषण करेंगी, जैसा कि वे सहकारीकरण से पहले करती थीं। व्यवसाय से उत्पन्न अधिशेष को डेयरीध्ग्रामीण विकास के लिए वापस करने के बजाय ग्रामीण क्षेत्र औरध्या भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा जैसा कि डेयरी सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, जब निजी डेयरी ये कार्य करती हैं तो दूध के प्रसंस्करण और विपणन से उत्पन्न अधिशेष का वितरण कम एकरूप या अधिक विषम होगा। इस प्रकार, नीतिगत उपाय के रूप में निजी डेयरी को बढ़ावा देना न तो आर्थिक रूप से कुशल है और न ही सामाजिक रूप से न्यायसंगत है।

निजीकरण से कम रोजगार के अवसर, इनपुट और पशु स्वास्थ्य देखभाल और प्रजनन सेवाओं की उच्च लागत और देश की राजनीतिक प्रणाली तक कम या बिल्कुल पहुंच नहीं होने के मामले में दुग्ध उत्पादक आबादी के कमजोर वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। गरीब दूध उपभोक्ताओं को भी हाशिए पर रखा जाएगा और दूध बाजारों से बाहर कर दिया जाएगा और दूध उत्पादन धीरे–धीरे ग्रामीण अमीरों का लक्ष्य बन जाएगा।

सहकारी समितियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौतियाँ

हालांकि सहकारी समितियां ग्रामीण विकास में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं, लेकिन वे कुछ चुनौतियों से अछूती नहीं हैं। सहकारी समिति के पास सीमित कार्यशील पूँजी होती है जो अपर्याप्त होती है। इसलिए अपर्याप्त धन की चुनौती इन समाजों के लिए वास्तविक है। इसके अलावा, ये समाज आसानी से राजनेताओं की चालों का शिकार हो जाते हैं क्योंकि ये राजनेता वोट बैंक के लिए सहकारी समितियों का दुरुपयोग करते हैं। इसके अलावा, ऐसे उदाहरण भी हैं जहां इन सोसायटियों के कुछ सदस्य व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए एसोसिएशन में शामिल होते हैं। यह मूल लक्ष्य का उल्लंघन करता है और समुदाय में दरार पैदा करता है।

ऐसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, सहकारी समितियां देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में इतनी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों की सफलता के लिए सहकारी समिति की भूमिका महत्वपूर्ण है।

देश में सहकारिता आंदोलन की वृद्धि और विकास की विभिन्न समितियों द्वारा समय–समय पर समीक्षा की गई है और उनके विकास में असंतुलन को कम करने के लिए उपाय किए गए हैं। यहां हमें आपको याद दिलाना चाहिए कि सहकारी समिति अधिनियम 1919 के अधिनियमन के साथ, सहकारी समितियां राज्य का विषय बन गईं। नतीजतन, सभी राज्यों ने अपनी मिलीभगत के अनुसार अपने–अपने कानून बनाए।

इस देश में सहकारी आंदोलन सरकार के आशीर्वाद से उभरा, जो इस उद्यम में एक सक्रिय भागीदार के रूप में भी काम करता है। हालाँकि, सरकार द्वारा बनाए गए कानून प्रतिबंधात्मक थे और कुछ मामलों में सहयोग के सिद्धांतों के विपरीत थे। जहां सरकारी इक्विटी अधिक थी, वहां आंदोलन का विकास नहीं हुआ, लेकिन जहां सरकारी नियंत्रण न्यूनतम था, वहां यह अच्छी तरह चला। उदाहरण के लिए, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में, जहां सहकारी समितियों की इक्विटी में सरकारों की कोई हिस्सेदारी नहीं थी, आंदोलन ने लगातार प्रगति दिखाई है और सरकारी नियंत्रण को कम कर दिया गया है।

लेकिन कई अन्य राज्यों में, विशेष रूप से उत्तर–पूर्व, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में, विकास प्रतिबंधित हो गया। सहकारी समितियों के विकास में असंतुलन के प्रमुख कारण हैं– क) प्रतिबंधात्मक कानूनी प्रावधानों के माध्यम से अत्यधिक सरकारी नियंत्रणय और ख) सहकारी समितियों पर निश्चित नीति का अभाव।

एक सहकारी समिति के रजिस्ट्रार को सर्वोच्च प्राधिकारी माना जाता है जो निर्वाचित बोर्ड को अधिक्रमण और निलंबित करने, निदेशक मंडल को नामित करने और प्रबंध निदेशक नियुक्त करने के लिए अधिकृत है। स्वायत्तता के अभाव में, सहकारी समितियाँ व्यावसायिकता विकसित नहीं कर सकीं, पेशेवर जनशक्ति की सेवाओं को सूचीबद्ध नहीं कर सकीं और मामलों को कुशलता से प्रबंधित कर सकीं। दूसरे, सहकारी समितियों को उनकी योजनाओं को लागू करने के लिए सरकारों के एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जो सहकारी समितियों की अधिकांश गतिविधियों में लाभ मार्जिन की कमी के कारण उनकी व्यवहार्यता को प्राप्त करने में मदद नहीं करती थी।

लेकिन सुधार अधिनियम के पारित होने के साथ, यानी बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम –2002 और 9 राज्यों में समानांतर अधिनियमों के अधिनियमन, अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और राजस्थान, राजस्थान में, रजिस्ट्रार की शक्तियां केवल पंजीकरण, लेखापरीक्षा और समय पर वार्षिक आम बैठक आयोजित करने तक सीमित कर दी गई हैं। इन सुधारों के साथ, सहकारी समितियों के पास स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए और अधिक स्वायत्तता होगी, उम्मीद है कि प्रभावी ढंग से अपने व्यवसाय की योजना बनाने और प्रबंधित करने के लिए अपने स्वयं के निर्णय लें।

इसके अलावा, राष्ट्रीय सहकारिता नीति–2002 की घोषणा के साथ, पहली बार सहकारिता की विचारधारा और सिद्धांतों को ग्रामीण आर्थिक विकास में उनकी वर्तमान भूमिका और समग्र विकास प्रक्रिया में उनकी भविष्य की भूमिका के साथ मान्यता दी गई है। एक बार जब इन सुधारों को सभी राज्यों द्वारा लागू कर दिया जाता है और सहकारी नीतियां उन सभी द्वारा समर्थित

हो जाती हैं, तो आंदोलन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में प्रभावी ढंग से योगदान करने में सक्षम हो जाएगा और विशाल कृषि क्षमता को साकार करेगा, जिससे ग्रामीण रोजगार में काफी वृद्धि होगी।

सहकारी समितियों ने आर्थिक गतिविधि के हर क्षेत्र में प्रवेश किया है और भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आकार देने में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण है।

दुग्ध उत्पादन, खरीद और वितरण में दुग्ध सहकारी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण लोगों को संगठित करने और उन्हें ग्रामीण समुदाय के विकास के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए मत्स्य पालन, वन श्रम, कृषि वानिकी, मुर्गी पालन, बुनकर, हथकरघा, हस्तशिल्प और सिंचाई के लिए जमीनी स्तर पर सहकारी समितियों का भी आयोजन किया गया।

निष्कर्ष

नए युग में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए सहकारी समितियों को समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। वर्गीस कुरियन, एलसी जैन और मोहन धारिया जैसे भारत के प्रमुख सह–संचालकों का तर्क है कि यह केवल निजी कंपनियाँ हैं जो उदारीकरण का लाभ उठा रही हैं, कॉरपोरेट–हितैषी सरकार को धन्यवाद जिसने मौजूदा कानूनों और प्रशासनिक और वित्तीय नियमों को संशोधित किया है। और कॉर्पोरेट क्षेत्र पर विभिन्न नियंत्रणों को हटाने के लिए भारत के हाल के इतिहास में अभूतपूर्व गति के साथ प्रक्रियाएं। सहकारी क्षेत्र, जो सरकार, नौकरशाही, पुरातन कानून और राजनेताओं से आजादी की मांग कर रहा है, को अभी तक मुक्त नहीं किया गया है और यह स्वतंत्रता दी गई है कि इसे निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता है। योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए मॉडल अधिनियम में शामिल ब्रह्म प्रकाश समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार बहुराज्य सहकारी अधिनियम में संशोधन के मुद्दे पर केंद्र सरकार टाल–मटोल करती रही है।

सहकारी समितियों के शिक्षा और प्रशिक्षण नेटवर्क ने सहकारी समितियों की छत्रछाया में रहने के विकास, लाभ और तकनीकों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया है। इससे ग्रामीण लोगों का ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन रोकने में मदद मिली है। सहकारी उद्यम और इसके कार्यक्रमों ने भी फसल उत्पादन में विविधीकरण को बढ़ावा दिया हैय रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और बेहतर बीजों का प्रभावी उपयोगय भूमि की उर्वरता और विभिन्न सहायक गतिविधियों में सुधार के लिए नई तकनीकें। विपणन और प्रसंस्करण सहकारी समितियों की स्थापना ने न केवल किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने में मदद की है बल्कि महत्वपूर्ण ग्रामीण रोजगार भी पैदा किया है।

संदर्भ

1. मुखर्जी, आर. (2016) – को–ऑपरेटिव्स इन इंडियाज रूरल इकोनॉमी, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, 51(4)

2. नलिनी कुमार (2017) ऑपरेशन फ्लड लिटरेचर रिव्यू एंड रिकंसिलिएशन, समसामयिक प्रकाशन 13, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद

3. रहीम, के.एम.बी. और कटार सिंह (2016) पश्चिम बंगाल में समुद्री मछुआरों की सहकारी समितियाँ कटार सिंह और विश्व बल्लभ सहकारी प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में एक खोजपूर्ण अध्ययन। नई दिल्ली ऋषि.

4. राजगोपालन, आर. (2016) रीडिस्कवरिंग को–ऑपरेशन कनेक्टिव समरी, इन आर. राजगोपालन रीडिस्कवरिंग को–ऑपरेशन। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद

5. सत्यसाई, के.जे.एस. और के.यू. विश्वनाथन (2018) रीस्ट्रक्चरिंग द को–ऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर इंटीग्रेशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, 53(3), पीपी 478–487

6. शांति जॉर्ज (2015) वर्तमान भारतीय डेयरी नीति का मूल्यांकन। नई दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

7. शियानी, आर.एल. और डी.डी. घोनिया (2016) सहकारी सिंचाई सोसायटी की भूमिका और प्रदर्शन एक केस स्टडी, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, 51 (4)

8. सिंह, कटार और जे.सी. आचार्य (2016) मध्य प्रदेश डेयरी विकास परियोजना का प्रभाव, अनुसंधान रिपोर्ट, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद

9. सिंह, कटार और विश्व बल्लभ (2016) प्राकृतिक संसाधनों का सहकारी प्रबंधन। नई दिल्लीः सेज पब्लिकेशन्स